

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जून 2022—आषाढ़ 2, शक 1944

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2022

“शुद्धि-पत्र”

No. 22 (A)410-MPS-31-1041.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 22 (A)410-MPS-31-977, दिनांक 15 जून 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में (असाधारण) क्र. 318, दिनांक 15 जून 2022 के पृष्ठ क्र. 636 पर बने टेबल की पांचवीं पंक्ति के कॉलम नं. 2 के वाक्यांश में,

“Central Welfare Commission” के स्थान पर “Central Water Commission” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.

“CORRIGENDUM”

No. 22 (A)410-MPS-31-1041.—In the Notification of this Department No. 22 (A)410-MPS-31-977, dated 15th June 2022 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 318, dated 15th June 2022, at the page No. 636, in the Column 2 against the Serial No. 5 of the table,

for the words “Central Welfare Commission” the words “Central Water Commission” be deemed to have been established and read accordingly.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.

677